राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील आबकारी संख्या – 922/2016/जोधपुर.

रूपाराम विश्नोई पुत्र श्री हरीकिशन विश्नोई,
शोभारडी, तहसील व जिला बाडमेर। .....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये आबकारी आयुक्त, उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर। .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.गर्ग, अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/08/2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प.29(बी)पीएस/वाहन/आब/2015/736 दिनांक 14.03.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए)(1)(बी) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि टाटा बस रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19PA-8100, चैसिस नम्बर 461295BRZ002247, इंजन नम्बर 70M62632533 का रजिस्टर्ड स्वामी मोहनराम पुत्र श्री सांवतराम, जाति जाट निवासी सी–599, तृतीय विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर था। वाहन स्वामी ने दिनांक 27.07.2015 को मुख्त्यारनामा आम एवं एक बेचान इकरारनामा निष्पादित करते हुए प्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र श्री हरिकिशन, जाति विश्नोई निवासी शोभाडी, तहसील व जिला बाडमेर के पक्ष में तहरीर लिखकर बेचाननामा की शर्त अनुसार रूपये 8,00,000/– में बेचान कर दिया एवं उक्त वाहन का भौतिक कब्जा भी उसी दिन प्रार्थी को सौंप दिया। दिनांक 28.08.2015 को परिवहन के दौरान उक्त बस बोरानाडा के पास एक ऑल्टो गाडी से टकराकर सडक पर पलटी खा गई। दुर्घटनाग्रस्त बस की जांच के दौरान पुलिस को बस के पीछे खाली साईड की डिग्गी के अन्दर कुछ सामान के साथ विभिन्न ब्राण्डों की 121 बोतलें विदेशी शराब बरामद हुई। क्षतिग्रस्त बस की तलाशी के वक्त प्रार्थी जो उस बस का कन्डक्टर व आम मुख्त्यार भी था, के द्वारा पुलिस को सही स्थिति बयान की गई कि उक्त बरामद शराब का प्रार्थी एवं बस से कोई सरोकार नहीं है। उक्त माल बस में यात्रा कर रहे यात्री की है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को भी नहीं है। क्योंकि उक्त माल बोरों में भरा हुआ था तथा बाहर से ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि परिवहनित किये गये माल में अवैद्य शराब है। परन्तु तत्कालीन पुलिस थानाधिकारी ने प्रार्थी को ही मुलजिम मानकर उक्त शराब को बिना वैद्य परमिट या लाईसेन्स के ही बस में परिवहन करने का अपराधी बताकर प्रार्थी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का अभियोग बनाया। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन को आबकारी अधिनियम की धारा 45 का अपराध मानकर अभियोग संख्या 159 दिनांक 28.08.2015 को अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन टाटा बस संख्या RJ-19A-8100 को जब्त कर लिया गया।

लगातार.....2

प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत जब्तशुदा वाहन को छुडाने के लिए एक आवेदन दिनांक 29.10.2015 को आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का नोटिस जारी किया गया एंव बस में बरामद 121 बोतल विदेशी शराब बिना परमिट की बरामद को आधार मानकर अधिग्रहित की गई बस को अधिग्रहण से मुक्ति के विकल्प में आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त वाहन पर 5,00,000/– रूपये जुर्माना राशि आरोपित की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त शास्ति राशि रूपये 5,00,000/– को 15 दिन में जमा नहीं कराये जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 69(7) के तहत जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को उक्त निलामी करने के भी आदेश दिनांक 14.03.2016 को पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की बस निर्धारित एवं नियमित मार्ग पर परिवहनित की जा रही थी तथा बस में यात्री सवार थे और यात्रियों का सामान बस की डिग्गी एवं अन्य स्थानों पर रखा हुआ था। बस का ऑल्टो कार से एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण एवं पुलिस के आ जाने के कारण परिवहनित की जा रही बस की तलाशी में यात्रियों के सामान में एक बोरे में रखी शराब पुलिस द्वारा बरामद की गई, जबकि वस्तु स्थिति अनुसार प्रार्थी बस कन्डक्टर एवं ड्राईवर को बोरे में रखे सामान के बारे में कुछ भी अंदेशा नहीं था। पुलिस ने प्रार्थी के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर लिया। पुलिस अपने अभियोग को माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने में असफल रही, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का परिवहनित की जा रही अवैध शराब से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं था। प्रार्थी एक गरीब कृषक आदमी है तथा परिवार में आजीविका का कोई स्थाई साधन नहीं होने के कारण, प्रार्थी एवं परिवार के अन्य सदस्य वर्तमान में काफी परेशानी एवं कठिन परिस्थितियों में निर्वाह कर रहे है। अतः उक्त अधिग्रहित वाहन परिवार की आजीविका में प्राईवेट रूप से संचालन के रूप में काम में आता है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन पुलिस अभिरक्षा में लम्बे समय से खुले में रहने के कारण अब खराब होने लगा है एवं प्रार्थी की आय का स्त्रोत भी बन्द हो गया है। अतः उक्त वाहन को रिलीज करने के आदेश पारित करने एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी अवैध शराब की तस्करी करने की मंशा रखता है एवं उसके द्वारा शराब की तस्करी करने की प्रवृति से ही विवादित माल परिवहनित किया जा रहा था। प्रार्थी अज्ञानता का बहाना बनाकर अपना पिंड छुडाना चाहता है एवं अज्ञानता जाहिर करने से प्रार्थी निर्दोष नहीं हो सकता है। अतः आयुक्त आबकारी द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 5,00,000/– उचित बतलाते हुए उसको यथावत रखने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में बस के साथ बरामद की गई अवैध शराब 121 बोतलें बस के साथ पायी गई थी एवं बस के दस्तावेजात प्रार्थी के नाम पाये गये। प्रार्थी उक्त अवैध माल के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। राजस्थान आबकारी

लगातार.....3

अधिनियम 1950 की धारा 14 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F4(58)E&T/51-1 दिनांक 22.01.1969 के द्वारा बिना वैध परिमट के 1.50 बल्क लीटर एवं अधिसूचना क्रमांक F4(1)FD/Excise/2014-Part-II दि0 21.08.2014 के द्वारा बिना वैध परमिट के 09 लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं 15 लीटर बीयर लाने की छूट दी गई है। राजस्व रिसाव को रोकने के लिए तथा मदिरा तस्करी की आवक पर अंकुश लगाने के लिए कानून में यह प्रावधान किया हुआ है। प्रश्नगत प्रकरण में जब्त मदिरा की मात्रा उक्त मात्रा से अधिक होने के साथ ही बिना अनुज्ञापत्र की है। प्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के निषेधात्मक प्रावधान का थानाधिकारी, पुलिस थाना–बोरानाडा, जिला जोधपुर पश्चिम द्वारा पंजीकृत अभियोग संख्या 159 दिनांक 28.08.2015 के द्वारा जारी प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना प्रमाणित करता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2014–15 तक की अवधि में प्रतिवर्ष क्रमशः 283, 370, 379, 381, 326, 249 एवं 280 वाहन अवैध रूप से मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने के कारण आबकारी अपराधों में जब्त किये गये है। यह आंकडे अवैध शराब की तस्करी में वाहनों के प्रयुक्त होने की वारदातों में वृद्धि होना प्रमाणित करते है। अपराधियों की इस मनोवृति पर अंकुश लगाने के लिए जब्त वाहनों पर न्यायसंगत जुर्माना राशि आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इससे अपराधियों की अवैध शराब की तस्करी करने की प्रवृति में विकर्षण होगा। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में इस तरह के अवैध मदिरा परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु भयोपरोधी निवारक (deterrent) प्रावधान है, तथा इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को हतोत्साहित (Demoralise) करना है जो मदिरा के अवैध व्यवसाय में लिप्त है।

ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त के समक्ष आबकारी थाना द्वारा अभियोग में अभिग्रहित उसके वाहन में से बरामद की गई अवैध मदिरा से कोई सम्बन्ध नहीं होने का कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य अपीलार्थी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अधिनियम की धारा 69(4) के प्रावधानों के तहत मदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन का अधिहरण किया जा सकता है तथा अधिनियम की धारा 69(4) के तृतीय परन्तुक के अनुसार वाहन के अधिहरण (Confiscation) के आदेश जारी करने से पूर्व वाहन स्वामी को अधिहरण से मुक्ति के विकल्प में जुर्माना राशि (जो वाहन के बाजार मूल्य तक हो सकती है) अदा करने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों के तहत बस संख्या RJ-19PA-8100 को मदिरा के अवैध परिवहन हेतु अधिहरण योग्य होने एवं अपीलार्थी के आवेदन पर इस वाहन के अधिहरण से मुक्ति के विकल्प में जुर्माना राशि 5,00,000/– निर्धारित किया जाने का आदेश दिनांक 14.03.2016 पारित किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर आबकारी आयुक्त का आदेश दि. 14.03.2016 विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किये जाने के कारण विधिसम्मत एवं न्यायसंगत है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 14.03.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष